



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

सूचना पत्र क्रमांक 01/01/2020, दिनांक 28.02.2023

आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदकों के शुल्क वापसी की अवधि में संशोधन संबंधी सूचना

- 01 आयोग द्वारा आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 01/2020, दिनांक 25-09-2020 आयोग की वेबसाइट पर जारी किया गया था जिसे आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त पत्र क्रमांक /एफ-1-18/2019/1/59 दिनांक 13.02.2023 के अनुरोध पर आयोग के शुद्धिपत्र क्रमांक 03/01/2020, दिनांक 17.02.2023 के द्वारा निरस्त करते हुए उन समस्त आवेदकों हेतु जिनके द्वारा उक्त पदों की पूर्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया था, शुल्क वापसी की सुविधा दिनांक 01-03-2023 से 15-03-2023 रखे जाने की सूचना दी गई थी।
- 02 उक्त अवधि को संशोधित किया जाता है अब वे समस्त आवेदक जिनके द्वारा उक्त पदों की पूर्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया था, वे अपनी शुल्क वापसी हेतु दिनांक 07-03-2023 से 22-03-2023 तक आयोग की वेबसाइट <http://www.mppsc.mp.gov.in/> पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
- 03 उपरोक्त शुद्धिपत्र की शेष शर्तें/जानकारी यथावत रहेंगी।


उप सचिव

